संख्या-47/2015/2141 सी0डी0/46-3-15-1000(78)/2014

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 31 अगस्त, 2015

विषय- प्रदेश के कृषकों को पेराई सत्र 2014-15 का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं निगम) को राज्य सरकार की ओर से रु0 28.60 प्रति कुन्टल की दर से दी जा रही अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-24 (आयोजनेत्तर) के अन्तर्गत सामान्य बजट एवं अनुपूरक में किये गये बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष/उपलब्ध धनराशि रु0 2070 करोड़ (रुपया बीस अरब सत्तर करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-28/2015/1310 सी0डी0/46-3-15-3(48)/98-99-टी.सी., दिनांक 15.06.2015 एवं इस क्रम में वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-37/2015/1523 सी0डी0/46-3-15-1000(78)/ 2014., दिनांक 29.06.2015 व शासनादेश संख्या-45/2015/1839सी0डी0/46-3-15- 1000(78)/ 2014., दिनांक 25.08.2015 तथा शासनादेश संख्या-2074 सी0डी0/46-3-15-3(48)/98-99, दिनांक 26.08.2015 एवं प्रक्रिया निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-46/2015/2076 सी0डी0/46-3-15-3(48)/98-99., दिनांक 27.08.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उपरोक्त शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये सामान्य बजट एवं अनुपूरक के माध्यम से बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में अवशेष/उपलब्ध धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक आपके पत्र संख्या-1249/गन्ना मूल्य /2014-15, दिनांक 27 अगस्त, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में, प्रदेश के कृषकों को पेराई सत्र 2014-15 का गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने हेतु कृषक हित में चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं निगम) को राज्य सरकार की ओर से रु0 28.60 प्रति कुन्टल की दर से दी जा रही अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के **अनुदान संख्या-24 (आयोजनेत्तर)** के अन्तर्गत सामान्य बजट एवं अनुपूरक में किये गये कुल बजट प्राविधान की धनराशि रु0 2131 करोड़ के सापेक्ष, अब तक शासन द्वारा अवमुक्त की जा चुकी धनराशि रु0 61 करोड़ के उपरान्त, वर्तमान में अवशेष/उपलब्ध धनराशि रु0 2070 करोड़ (रुपया बीस अरब सत्तर करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि, प्रस्तर-1 में संदर्भित शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या-2074 सी0डी0/46-3-15-3(48)/98-99, दिनांक 26.08.2015 तथा शासनादेश संख्या-46/2015/2076 सी0डी0/46-3-15-3(48)/98-99, दिनांक 27.08.2015 में दिये गये निर्देशों व निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अतिरिक्त सहायता के रुप में धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रस्तर-2 मे स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/ 2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2015/बी-2-2580/दस-2015-244/ 2015, दिनांक 26 अगस्त, 2015 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि तथा पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-37/2015/1523 सी0डी0/46-3-15-1000(78)/2014., दिनांक 29.06.2015 व शासनादेश संख्या-45/2015/1839सी0डी0/46-3-15- 1000(78)/ 2014., दिनांक 25.08.2015 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/वित्त विभाग एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद को नियमित रुप से उपलब्ध कराने तथा लेखाओं का नियमित/त्रैमासिक मिलान महालेखकार , उ0प्र0, इलाहाबाद से अवश्य कराया जाय। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व गन्ना आयुक्त, उ0प्र0/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त का होगा।

6- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-934/दस-2008-मित0-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाये, ताकि अपव्यय को रोका जा सके ।

7- वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन व वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।

8- प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जा रहा है, उसी के लिये किया जायेगा तथा इसका किसी भी दशा में किसी अन्य प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा। ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य कोई सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति नियमानुसार आवश्यक हो, तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को पी.एल.ए./डिपाजिट खातों में जमा न किया जाये।

9- उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-24(आयोजनेत्तर),गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के लेखा शीर्ष ''2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-07-कृषकों को गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु चीनी मिलों को अतिरिक्त सहायता/रियायत की प्रतिपूर्ति-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप **संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015** एवं वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप **संख्या-13/2015/बी-2-2580/दस-2015-244/ 2015, दिनांक 26 अगस्त, 2015** में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-47/2015/2141 सी0डी0/46-3-15-1000(78)/2014 , तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।